न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, देसूरी जिला–पाली

पीठासीन अधिकारी– श्रीमती राजलक्ष्मी गहलोत (R.A.S.)
राजस्व विविध संख्या – 66 / 2021
तारीख दायर – 02.11.2021

प्रार्थीगण :–

1. भंवरलाल पुत्र जीवारामजी आयु– 50 वर्ष
2. दिलीप कुमार पुत्र जीवारामजी आयु–48 वर्ष
   जातिगण–माली, निवासीगण–देवडा कृषि भूमि रणकपुर रोड, सादडी तहसील–देसूरी, जिला–पाली, (राज.)

–: बनाम :–

अप्रार्थीगण :–

1. वनाराम पुत्र श्री जीवाराम आयु– 51 वर्ष
2. मदनलाल पुत्र श्री जीवाराम आयु– 41 वर्ष
3. भरतकुमार पुत्र श्री जीवाराम आयु– 33 वर्ष
   तमाम जातिगण– माली, निवासीगण– देवडा कृषि भूमि फार्म, रणकपुर रोड सादडी, तहसील–देसूरी, जिला–पाली, (राज.)
4. श्रीमती शांतिदेवी पत्नि स्व. जीवारामजी आयु– 70 वर्ष
   जाति – माली, निवासी– देवडा कृषि भूमि फार्म, सादडी, तहसील–देसूरी, जिला–पाली, (राज.)

(वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राज. काश्तकारी अधिनियम)
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति–
1– अधिवक्ता श्री गजेन्द्रसिंह राजावत प्रार्थीगण की ओर से।
2– अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार माली अप्रार्थीगण की आरे से।

–: आदेश :– **दिनांक– 30.09.2022**

1– प्रकरण हाजा के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–212 राज.काश्त. अधिनियम, 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि न्यायालय में बटवाडा, घोषणा [illegible] निषेधाज्ञा का मूल वाद पेश किया है जिसमें प्रार्थीगण को सफलता के ठोस [illegible] अवसर है।

2– यह कि प्रार्थीगण स्व. खीमा[illegible] माली निवासी– सादडी के पौत्र है। स्व. खीमारामजी माली की पुश्तैनी सम्पति मौजा सरहद सादडी, पटवार सादडी चक–2 तहसील–देसूरी मे स्थित है जिनकी जमाबंदी सम्वत् 2041 से 2060 तक की वाद–पत्र के साथ संलग्न पेश है।

पेज लगातार 02 पर...

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.14 12:33:44 IST
Reason: SelfAttested

3– यह की प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगाय 3 के दादा एवं अप्रार्थी संख्या 4(वाद में प्रतिवादी संख्या 4 लगाय 6) के पिता/ससुर, खीमाराम पुत्र मोतीजी माली के स्वर्गवास होने के पश्चात उनके खातेदारी की सम्पुर्ण कृषि भूमि पुश्तैनी होने से उनके पुत्रों श्री मोहनलाल (वाद में प्रतिवादी संख्या 4 मोहनलाल), स्व. श्री जीवाराम (प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगाय 3 के पिता तथा अप्रार्थी संख्या 4 शांति के पति) तथा श्री देवाराम (वाद में प्रतिवादी संख्या 6) के नाम दर्ज हुई। प्रतिलिपि जमाबंदी सम्वत् 2058 से 2061 वादपत्र के साथ प्रस्तुत है।

4– यह कि मोहनलाल (प्रतिवादी संख्या 4), स्व. श्री जीवाराम (प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगाय 3 के पिता तथा अप्रार्थी संख्या 4 (प्रतिवादी सं. 5) के पति) तथा श्री देवाराम ने आपसी सहमति व स्वीकृति के मौजा सरहद सादडी, पटवार हल्का सादडी चक–2 तहसील–देसूरी मे स्थित पुश्तैनी कृषि भूमि का बंटवाडा कर मौजा सादडी चक–2 के खसरा नम्बर 5482 रकबा 0.20 हेक्टर किस्म चा.प्र.जा.प्र., खसरा नम्बर 5483 रकबा 0.40 हेक्टर किस्म चा.प्र.जा.प्र., खसर नम्बर 5484 रकबा 0.85 हेक्टर किस्म चाही प्रथम, खसरा नम्बर 5485/1 रकबा 0.21 हेक्टर किस्म चा.प्र.जा.प्र., खसरा नम्बर 5487 रकबा 0.31 हेक्टर किस्म चा.प्र.जा.प्र., खसरा नम्बर 5545 रकबा 0.84 हेक्टर किस्म चा.प्र.जा.प्र., खसरा नम्बर 5550 रकबा 0.46 हेक्टर किस्म चा.प्र.जा.प्र., खसरा नम्बर 5551 रकबा 0.64 हेक्टर किस्म चा.प्र.जा.प्र., खसरा नम्बर 5551/6582 रकबा 0.01 हेक्टर किस्म गै.मु. बेरा कुल खसरा 09 कुल रकबा 3.9200 हैक्टर कुल लगान 125.87 रूपये की कृषि भूमि जीवाराम के बंट एवं हिस्से में रखी गई जिसे वादपत्र एवं प्रार्थना पत्र में वादग्रस्त भूमि से सम्बोधित किया है।

5– यह कि स्व. जीवाराम पुत्र खीमारामजी माली प्रार्थीगण के एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगाय 3 के पिता तथा अप्रार्थी संख्या 4 (प्रतिवादी सं. 5) के पति थे। प्रार्थीगण स्व. खीमाराम पुत्र मोतीजी के पौत्र होने से स्व. जीवाराम पुत्र खीमाराम के बंट में आयी सम्पुर्ण भूमि में उनका हक व हिस्सा निहित है। स्व. जीवाराम के हिस्से एवं बंट की सम्पुर्ण भूमि में प्रत्येक प्रार्थीगण का 1/6–1/6 हिस्सा अर्थात स्व. खीमाराम पुत्र मोतीजी की सम्पुर्ण खातेदारी भूमि में 1/18–1/18 हिस्सा है। मौके पर उपरोक्त आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाण्उण्ड्स के बंटवाडा नहीं हुआ है। जिससे प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 लगाय 3 व अप्रार्थी संख्या 4(प्रतिवादी संख्या 5) का कब्जा काश्त शामलाती चला आ रहा है। कानूनन प्रार्थीगण को उपरोक्त भूमि में बंटवाडा करवाये जाने का अधिकार प्राप्त से एवं उन्हे अपने हिस्से अनुसार भूमि का बंटवाडा ... कानूनन अधिकार प्राप्त होने से प्रार्थीगण द्वारा यह वाद प्रस्तुत किया है। जिससे प्रार्थी... को सफलता के ठोस व पर्याप्त आधार व आसार है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.14 12:33:44 IST
Reason: SelfAttested

6– यह कि वादग्रस्त भूमि पुश्तैनी होने से एवं खीमाराम के स्वर्गवास होने से स्व. जीवाराम का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो जाने से स्व. जीवाराम को वादग्रस्त भूमि को

पेज लगातार 03 पर...

सहायक कलेक्टर
(एस डी ओ) देसूरी (पाली)

बेचान बक्शीश/दान/विनिमय करने का कोई हक अधिकार नहीं था फिर भी स्व. जीवाराम ने संबंधित कानून एवं नियमों को अनदेखा कर प्रार्थीगण के हक हिस्से की भूमि में से खसरा नम्बर 5545 रकबा 0.84 हेक्टर, खसरा नम्बर 5550 रकबा 0.46 हेक्ट, खसरा नम्बर 5551 रकबा 0.64 हेक्टर कुल खसरा 03 कुल रकबा 1.94 हेक्टर भूमि का अवैध रूप स बिना प्रार्थीगण की सहमति एवं स्वीकृति के अप्रार्थीगण संख्या 1 व 3 के पक्ष में दिनांक 20.10.2016 को तथा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में दिनांक 20.10.2016 को बक्शीश कर बक्शीश नामा(गिफ्ट डीड) श्रीमन उप पंजीयक देसूरी के समक्ष निष्पादित कर पंजीयन करवा दिया जिसका स्व. जीवाराम को कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। प्रार्थीगण की विरासत में प्राप्त पुश्तैनी वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीगण को दीगर अप्रार्थीगण एवं स्व. जीवाराम के जीवनकाल में भी बटवाडा करवाये जाने का अधिकार प्राप्त होने से स्व. जीवाराम द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 लगाय 3 के पक्ष मे किये गये बक्शीशनामा(गिफ्ट डीड) से प्रार्थीगण पाबन्द नहीं है। प्रार्थीगण के पिता स्व. जीवाराम द्वारा किये गये बक्शीशनामा (गिफ्ट डीड) के आधार पर अप्रार्थीगण संख्या 1 लगाय 3 को, प्रार्थीगण की वादग्रस्त भूमि मे उनके हक हिस्से में कब्जा काश्त करने तथा उपयोग उपभोग करने में दखलन्दाजी करने, उन्हे रोकने, बाधा उत्पन्न करने के कानूनन अधिकारी नहीं है। स्व. जीवाराम द्वारा किये गये बक्शीशनामा (गिफ्ट डीड) प्रार्थीगण के हक अधिकारों के विरूद्ध वेअसर है। प्रार्थीगण उससे पाबंद नहीं है। बक्शीशनामा (गिफ्ट डीड) की प्रमाणित प्रतिलिपि वादपत्र के साथ पेश है।

7– यह कि स्व. जीवाराम को वादग्रस्त आराजी का बंटवाडा करवाये बिना बेचान, बक्शीश/दान/विनिमय आदि करने का हक अधिकार ही प्राप्त नहीं था न ही वह वाग्रस्त भूमि के किसी विशेष हिस्से का बक्शीश करने के अधिकारी थे। उक्त बक्शीश के आधार पर अप्रार्थीगण संख्या 1 लगाय 3 को वादग्रस्त भूमि का बंटवाडा बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के करवाये बिना भी वादग्रस्त भूमि पर कब्जा काश्त करने का अधिकार ही प्राप्त नही है, फिर भी उपरोक्त अवैध बक्शीशनामा के आधार पर अप्रार्थीगण संख्या 1 लगाय 3 जोर–जबरदस्ती से प्रार्थीगण के हक व हिस्से की भूमि पर उनके कब्जे व काश्त में दखलन्दाजी करने पर आमादा है जिसका उन्हे किसी भी कानून के तहत अधिकार प्राप्त नहीं है जिससे प्रार्थीगण अप्रार्थीगण संख्या 1 लगाय 3 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है जिस हेतु स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश किया है।

8–प्रार्थीगण ने निवेदन किया कि अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मूल वाद के निर्णय तक अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस अमर की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावें कि वो मूल वाद के निर्णय तक वादग्रस्त भूमि के प्रार्थीगण के हक हिस्से की भूमि में प्रार्थीगण के उपयोग उपभोग व काश्त में किसी प्रकार की कोई दखलन्दाजी, बाधा, अवरोध, व्यवधान, रोक–टोक नहीं करें तथा न ही वादग्रस्त भूमि को खुर्द–बुर्द, फरोस्त, डेमेज करे व प्रार्थीगण को जबरदस्ती वादग्रस्त भूमि से बेदखल

पेज लगातार 04 पर...

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.14 12:33:44 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(एस डी ओ) देसूरी (पाली)

नहीं करें एवं न ही अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि को किसी अन्य व्यक्ति को बेचान, हस्तान्तरण, अन्तरण आदि नहीं करे ना किसी ऐजेन्ट, प्रतिनिधि से करावें तथा मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखनें का आदेश प्रदान करावें।

9-प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार माली ने मूलवाद में वकालतनामा पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। अप्रार्थी अधिवक्ता ने अप्रार्थीगण संख्या 1 लगाय 3 की ओर की और से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे शामिल मिसल किया जाकर एक प्रति प्रार्थी अधिवक्ता को दिलाई गई।

10- अप्रार्थीगण अधिवक्ता ने अप्रार्थीगण संख्या 1 लगाय 3 की ओर से जवाब मय प्रति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्राथमिक आपत्तियों में बताया कि प्रार्थीगण का वाद धारा 80 सी.पी.सी. के प्रावधानों से प्रतिवादी संख्या 07 , 08 को नोटिस नहीं देने से, प्रार्थीगण का वाद अलग-अलग खाते की दर्ज खातेदारी भूमि के विभाजन को लेकर पेश करने से प्रार्थीगण का वाद काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों से वर्जित है एवं प्रार्थीगण का वाद पक्षकारों के कुसंयोजन से खारीज योग्य है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण किसी प्रकार से परिपोषणीय नहीं होने से खारिज योग्य है।

11- यह कि प्रार्थीगण स्व. खीमाराम पुत्र मोतीरामजी के पौत्र होने तक कथन सही है। खीमारामजी की पुश्तैनी सम्पति होने का कथन गलत होने से अस्वीकार है। मोहनलाल, जीवाराम और देवाराम के मध्य आपसी सहमति व स्वीकृति से पद संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि का बंटवाडा करने का कथन मिथ्या है। इस पद संख्या में वर्णित खसरा नम्बर 5545, 5550, 5551 की कृषि भूमि जीवाराम के द्वारा खरीदसुदा और स्वार्जित होने से अप्रार्थीगण के नाम जरिये रजिस्टर्ड विलेख के खातेदारी में नामान्तरकरण के इन्द्राज की गई है, जो अप्रार्थीगण के कब्जा काश्त और खातेदारी की है। जिसका देवाराम और मोहनलाल के मध्य विभाजन करने का कोई प्रश्न ही नहीं है। खसरा संख्या 5482, 5483, 5484, 5485/1 और 5487 की आराजी जीवरामजी को उत्तराधिकार मे प्राप्त कृषि भूमि है।

12- जीवारामजी प्रार्थीगण और अप्रार्थीगण संख्या 1 लगाय 3 के पिता होने का कथन सही है। सादडी चक द्वितीय के खसरा संख्या 5482, 5483, 8484, 5485/1, 5551/6582 और 5487 कुल आराजी 01.9800 हैक्टर की आराजी जीवारामजी के खातेदारी हक अधिकार की निहित होने से जीवारामजी के स्वर्गवास पर प्रार्थीगण और अप्रार्थी संख्या 1 लगाय 3, 5 को बहिस्सा बराबर बराबर के खातेदारी हक अधिकार निहित हुए है। खसरा संख्या 5545, 5550, 5551 कुल रकबा 01.9400 हेक्टर की कृषि भूमि अप्रार्थीगण के खातेदारी हक अधिकार और कब्जा काश्त की जीवारामजी के जीवनकाल से ही दर्ज चली आ रही है जो जमाबंदी संवत् 2073-76 के खाता संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.14 12:33:44 IST
Reason: SelfAttested

पेज लगातार 05 पर...

सहायक कलेक्टर
(एस डी ओ) देसूरी (पाली)

..99 के इन्द्राजों से भी प्रमाणित है। सादडी चक द्वितीय के खसरा नम्बर 5482, 5483, 5484, 5485/1, 5551/6582 और 5487 कुल आराजी 01.9800 हैक्टर की सहखातेदारी कृषि भूमि प्रार्थीगण और अप्रार्थी संख्या 1 लगाय 3, 5 के बहिस्सा बराबर-बराबर की स्थित है, जिसका विभाजन नहीं होने से अप्रार्थी भी विभाजन कराने को तैयार है। खसरा संख्या 5545, 5550, 5551 कुल क्षेत्रफल 01.9400 हैक्टर की कृषि भूमि में प्रार्थीगण को कभी भी किसी प्रकार से खातेदारी हक अधिकार निहित नहीं हुए है, ना ही कभी किसी प्रकार से कब्जा काश्त ही रहा है।

13- यह कि वादग्रस्त कृषि भूमि के खसरा नम्बर 5545, 5550, 5551 कुल क्षेत्रफल 01.9400 हेक्टर की कृषि भूमि जीवारामजी की स्वअर्जित कृषि भूमि होने से विधि पूर्वक जीवरामजी ने अपने जीवनकाल में बक्शीशनामा मे लिखाये जाकर पंजीबद्ध करवाये गये है जो दोनों ही बक्शीशनामें दिनांक 20.10.2016 पूर्ण विधिक प्रभाव में है। जीवारामजी ने अपने जीवनकाल में ही बक्शीशसुदा कृषि भूमि का कब्जा मौके पर अप्रार्थी संख्या 1 लगाय 3 को सुपुर्द कर दिया था, पंजीबंद्ध दस्तावेजों की पालना में जमाबंदी में नामान्तकरण भी इन्द्राज हो गया था। जिसकी जानकारी प्रार्थीगण को प्रारम्भ से ही रही है। प्रार्थीगण ने अपने पिता जीवारामजी के जीवनकाल में कभी भी किसी प्रकार से उज्र एतराज और विवाद नहीं किया और पिता के स्वर्गवास के बाद बिना किसी विधिवक हक अधिकार के मिथ्या दावा पेश किया है। प्रार्थीगण को जीवारामजी के जीवनकाल में वादग्रस्त आराजी का बंटवाडा कराये जाने का कभी हक अधिकार प्राप्त नहीं हुआ था। जीवाराम के द्वारा अपने जीवनकाल में अपनी स्वअर्जित सम्पतियों के संबंध में दिनांक 20.10.2016 को अप्रार्थी संख्या 1 लगाय 3 के पक्ष में किये गये बक्शीशनों पूर्णतः विधिपूर्वक और सही है, दोनों की पंजीबद्ध दस्तावेजन किसी भी न्यायालय से निरस्त या अवैध शून्य घोषित किये हुए नहीं है। अप्रार्थीगण के कब्जा काश्त और खातेदारी हक अधिकार की खसरा संख्या 5545, 5550, 5551 कुल क्षेत्रफल 01.9400 हेक्टर की कृषि भूमि में प्रार्थीगण को कभी भी किसी प्रकार से हक अधिकार निहित नहीं रहे है। जिसमें किसी प्रकार से हस्तक्षेप करने कराने का प्रार्थीगण को कोई हक अधिकार नहीं है ना ही प्रार्थीगण को विभाजन कराये जाने का हक अधिकार प्राप्त है। खसरा संख्या 5545, 5550, 5551 कुल क्षेत्रफल 01.9400 हेक्टर की कृषि भूमि अप्रार्थीगण के खातेदारी हक अधिकार की दर्ज है। जिससे प्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थीगण किसी प्रकार की निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है।

14- यह कि वादग्रस्त भूमि किसी प्रकार से पुश्तैनी नहीं है। जीवाराम ने अपने जीवनकाल में अपनी स्वार्जित कृषि भूमि ... जिसमें किसी विशेष हिस्से की कृषि भूमि का बक्शीश नहीं होकर सम्पूर्ण ... खातेदारी हक अधिकारों का बक्शीश है जो विधि पूर्वक और सही है ... संख्या 5545, 5550, 5551 कुल क्षेत्रफल 01.9400 हेक्टर की आराजी में कभी नहीं रहा औ ना ही आज भी है

पेज लगातार 06 पर...

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.14 12:33:44 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

जिसमें प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण संख्या 1 लगाय 4 के कब्जा काश्त और खातेदारी आराजी का बंटवाडा कराया जाने का कोई विधिक हक अधिकार नहीं है। खसरा संख्या 5482, 5483, 5484, 5485/1, 5551/6582 और 5487 कुल क्षेत्रफल 01.9800 हैक्टर की कृषि भूमि में प्रार्थीगण और अप्रार्थी संख्या 1 लगाय 3, 5 को बहिस्सा बराबर 1/6–1/6 निहित हे जो जमाबंदी में भी इन्द्राज है जिस अनुसार अप्रार्थीगण पहले भी बंटवाडा कराने के लिये तैयार थे और आज भी तैयार है। उक्त आराजी अभिलिखित और स्वीकृत रूप से प्रार्थीगण और अप्रार्थीगण के सहखातेदारी हक अधिकार की होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण परिपोषणीय नहीं होने से खारिज योग्य है।

15– बक्शीशसुदा आराजी में अप्रार्थीगण को तमाम हक अधिकार और कब्जा काश्त निहित है जिसमें प्रार्थीगण को किसी प्रकार के हक अधिकार नहीं है। मौजा गाव सादडी चक द्वितीयय के खसरा संख्या 5545, 5550, 5551 कुल खसरा 3 कुल क्षेत्रफल 01.9400 हेक्टर अप्रार्थी संख्या 1 लगाय 3 के खातेदारी हक अधिकार और कब्जा काश्त की विद्यमान होने से प्रार्थीगण को उक्त आराजी में किसी प्रकार से दखलन्दाजी करने कराने के कोई हक अधिकार नहीं है। जिसमें अप्रार्थीगण संख्या 1 लगाय 3 द्वारा प्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत खसरा संख्या 5482, 5483, 5484, 5485/1, 5551/6582 और 5487 कुल क्षेत्रफल 01.9800 हैक्टर मे नाजातय हस्तक्षेप दखलन्दाजी करने कराने इत्यादि रोकने हेतु अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट मे पेश है।

16– अतः अप्रार्थीगण का जवाब स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किया जावें एवं अप्रार्थीगण का प्रतिप्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर मौजा ग्राम सादडी चक द्वितीय के खसरा नम्बर 5545, 5550, 5551 कुल खसरा 3 कुल क्षेत्रफल 01.9400 हेक्टर की वादग्रस्त आराजी में अप्रार्थी संख्या 1 लगाय 3 को निहित खातेदारी हक अधिकार और कब्जा काश्त में प्रार्थीगण स्वयं और अपने एजेन्ट प्रतिनिधिगण के मार्फत किसी प्रकार से नाजायज हस्तक्षेप नहीं करें और ना ही किसी अन्य से करावें इस बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रार्थीगण को मूल वाद के विचारण तक रोका जाने का निवेदन किया।

17– पत्रावली में उभय पक्ष अधिकवक्ता द्वारा बहस की गई। प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण भाई एव माता है। खीमाराम की पुश्तैनी सम्पति मे से 1/3 जीवराम को प्राप्त हुई प्रमाण स्वरूप जमाबंदी सम्वत् 2041 से 2060 की पेश है। जमाबंदी सम्वत् 2058–61 में 09 खसरे दर्ज [illegible] जीवाराम के पश्चात जमीन के 5 वारिसान है। जीवाराम के हिस्से की [illegible] प्रत्येक का 1/6 हिस्सा प्रत्येक का आता है। पुश्तैनी जमीन [illegible] अधिकार है। जीवाराम ने अपने जीवनकाल में तीन पुत्रों के नाम 03 खसरे जमीन 5545, 5550, 5551 बक्शीश

पेज लगातार 07 पर...

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.14 12:33:44 IST
Reason: SelfAttested

कर दी प्रार्थीगणों को वंचित कर दिया गया। मिताक्षरा विधि में जन्म से ही सहदायिकी सम्पति में अधिकार है।

केहरसिंह बनाम नचितर कौर का निर्णय दिनांक 20.08.2018—किन परिस्थितियों मे पिता अपनी जमीन को बेच सकता है वह वर्णित है। अप्रार्थी ने दो पुत्रों से दुर्भावना की वजह से बक्शीश नामा निष्पादित करवाया बक्शीश नामा के बिन्दु संख्या (ब) में वर्णित सम्पति स्वअर्जित है। अतः इसके संबध में रिलिफ नहीं चाही। पेज नम्बर 3 में बक्शीश किये जाने के संबंध मे कोई विविध नेसेसिटी नहीं बताई। बक्शीशनामा कर सम्पति हस्तान्तरित करी। अपने स्नेह के कारण जो खसरे बक्शीश किये वह गलत है। दोनों पक्षकारों के मध्य विवाद है। पुलिस में मुकदमा दर्ज है FIR की प्रति पेश है। सादडी न्यायालय में मुकदमे विचाराधीन है। अतः अस्थाई निषेधाज्ञा दी जाए अन्यथा मुकदमे बाजी बढेगी, जानमाल को नुकसान होगा अतः निषेधाज्ञा दी जाए।

18— अप्रार्थीगण अधिवक्ता ने अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क किया कि अस्थाई निषेधाज्ञा के लिये यदि दावा प्रथम दृष्टया ही मेन्टेनेबल नहीं है तो अस्थाई निषेधाज्ञा का औचित्य नहीं है। मूल वाद में पक्षकार 8 है, वाद मे तहसीलदार, पटवारी हल्का पक्षकार है तो राज्य सरकार के विरूद्ध अनुतोष चाहा तो उनके खिलाफ दावा पेश करने से पूर्व 80 का नोटिस जारी करना था जो पेश नहीं किया। अतः धारा 80 के तहत मेन्टेनेबल नहीं होने से खारिज योग्य है। दावे के पक्षकार टी.आई मे आवश्यक रूप से पक्षकार होने चाहिये। सम्पूर्ण सहअधिकारी आवश्यक व प्रभावी पक्षकार है। पक्षकारों के असंयोजन से टी.आई. मेन्टेनेबल नहीं है। दावा जो पेश किया है वह खसरा नम्बर 5482 से 5484, 5485/1, 5487 एवं 5551/6582, 5545, 5550, 5551 को लेकर पेश किया है। उक्त 09 खसरे इनकी जमाबंदी पृथक—पृथक एवं खातेदारी भी पृथक—पृथक है। प्रार्थीगणों ने बंटवाडा हेतु वाद किया है। जिसमें भूमि क्षेत्र अलग—अलग एवं पक्षकार अलग—अलग होने से धारा 53 आर.टी.एक्ट यह कहता है कि पक्षकार समान तो एक वाद किया जा सकता है। लेकिन दावा अलग—अलगत खाते की आराजी को लेकर पेश किया जो वाद खारिज योग्य है।

19— दावा सहदायिकी अधिकारो पर आधारित है। अविभाजित पैतृक सम्पति जिमे 3 पीढी ऊपर है, तो सहदायिकी सम्पति है जिसका विभाजन नहीं हुआ है। खीमाराम ने अपनी सहदायिकी सम्पति जो उनके वारिसान में दर्ज थी। उसका विभाजन हो चुका था। विभाजन के पश्चात सम्पति स्वअर्जित हो जाती है। विभाजन को किसी प्रकार की भी चुनौती नहीं दी है। सम्पति खीमाराम से प्राप्त है तो उत्तराधिकार मानी जा सकती है सहदायिकी नहीं। प्रार्थीगणों ने पिता [illegible] आपत्ति नहीं करी। रजिस्टर्ड बख्शीशनामें को भी चुनौती नहीं दी [illegible] दी। अतः स्वअर्जित सम्पति है। अप्रार्थीगणों [illegible] वाद में काउण्टर क्लेम पेश किया है। वाद में प्लिडिंग में प्रतिवादी को [illegible] हिस्सा माना। खसरा नम्बर 5482, 5483, 5484, 5485/1, 5551/6582 और 5487 कुल आराजी 01.9800 हैक्टर की

पेज लगातार 08 पर...

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.14 12:33:44 IST
Reason: SelfAttested

कृषि भूमि सहखातेदारी की जिसमें प्रत्येक इंच पर कब्जा सहखातेदार का है। सहखातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा दिये जाने से वाद विवाद बढेंगे। खसरा नम्बर 5545, 5550, 5551 के अप्रार्थीगण रिकॉर्डेड खातेदार है जिसमें विरूद्ध प्रार्थीगणों के बावत अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने हेतु प्रति प्रार्थना पत्र भी पेश किया है। सहदायिकी सम्पति होना प्रथम दृष्टया साबित नहीं होता है जबकि यह विभाजन से प्राप्त होकर स्वअर्जित सम्पति है।

20- प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने बहस में पुनः तर्क किया कि धारा 80 सी.पी.सी की आपत्ति के संबंध में मूल दावे के साथ प्रार्थना पत्र पेश है। प्रक्षकारों का असंयोजन मूल वाद के पक्षकार टी.आई में होना आवश्यक नहीं है। जिनके बीच विवाद है उन्ही के खिलाफ अनुतोष चाहा गया है। वादग्रस्त आराजी का पुश्तैनी होना रिकॉर्ड व साक्ष्यों से सिद्ध होगा। सम्वत् 2058 से 2061 की जमाबंदी के आधार पर बंटवाडा चाहा है। जिस बख्शीशनामें से दर्ज हुए वो प्रारम्भ से ही शून्य है। अतः कही से relief लेने की आवश्यकता नहीं है। प्रारम्भ से जो जमाबंदी आ रही है उसमें विवादग्रस्त खसरे शामिल है। टी.आई में तहसीलदार व पटवारी हल्का से कोई अनुतोष नहीं चाहा गया अतः पक्षकार नहीं बनाया।

21- अधिवक्ता उभय पक्ष बहस को सुना। पत्रावली एवं मूल वाद का भी अवलोकन किया गया। बहस पर मनन करने, पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा चाही गई है। अप्रार्थीगणों द्वारा भी जवाब मय प्रतिप्रार्थना पत्र देते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा चाही गई। अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने बाबत तीनों बिन्दुओं पृथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त के परिपेक्ष्य में प्रकरण का परीक्षण किया गया जिनका विवेचन निम्न है :-

22- प्रकरण में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगणों 1 लगाय 3 के पिता जीवराम पुत्र खीमारामजी ने विवादित आराजियात खसरा नम्बर 5545, 5550, 5551 अप्रार्थीगण संख्या 1 लगाय 3 बनाराम पुत्र जीवाराम, मदनलाल पुत्र जीवाराम, भरतकुमार पुत्र जीवाराम को जरिये बख्शीशनामा के गिफ्ट की है। इससे व्यथित होकर प्रार्थीगणों द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा चाही गई है। प्रार्थीगणों के विद्वान अभिभाषक द्वारा विचारण प्रकरण में अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सिविल अपील नम्बर 3264 of 2011 *"केहरसिंह बनाम नचेत्तर कौर"* प्रस्तुत किया जिसके आलोक में प्रकरण का परीक्षण किया [illegible] प्रीतमसिंह के द्वारा विक्रय विलेख अन्य पक्षकारों को सम्पति का अंतरण कि[illegible]। जिसे प्रीतम सिंह के पुत्र केहरसिंह ने चेलेंज कर वाद प्रस्तुत [illegible] निष्पादन की legeal necessity थी या नहीं एव विक्रय विलेख के निष्पादन के लिये आवश्यक तथ्य आर्टिकल 241 की व्याख्या की गई है। लेकिन विचारण प्रकरण में विक्रय विलेख का निष्पादन नहीं

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.14 12:33:44 IST
Reason: SelfAttested

पेज लगातार 09 पर...

हुआ है। गिफ्ट डीड के जरिये सम्पति का हस्तान्तरण पिता द्वारा अपने ही पुत्रों को किया गया है। जिसके बदले कोई प्रतिफल प्राप्त नहीं किया है। पुत्रों के प्रति स्नेह के कारण गिफ्ट किया गया है। अतः प्रार्थीगणों के विद्ववान अभिभाषक का यह उजर की प्रार्थीगणों के पिता को बेचान की legeal necessity नहीं थी। फिर भी बेचान किया मान्य नहीं है। विक्रय विलेख एवं गिफ्ट डीड दोनों ही पृथक-पृथक है। अतः उक्त न्यायिक दृष्टांत इस प्रकरण पर लागु नहीं होता है।

23- अप्रार्थीगण वनाराम ,मदनलाल भरतकुमार पुत्र जीवाराम विवादित आराजियात 5545, 5550, 5551 के वर्तमान रिकॉर्ड जमाबंदी सम्वत् 2073-76 के अनुसार रिकॉर्डेड खातेदार है जो जरिये बख्शीश जीवाराम से प्राप्त हुई है। प्रार्थीगणों के विद्ववान अभिभाषक का कथन है कि उक्त विवादित आराजियात पुश्तैनी सम्पति है जो कि खीमाराम से 1/3 हिस्सा जीवाराम को प्राप्त हुआ है जिसके प्रमाण में जमाबंदी सम्वत् 2041 से 2060 है। अतः खीमाराम की पुश्तैनी सम्पति में पिता के साथ पुत्रों का अधिकार भी है। अतः खातेदारी अधिकारों की घोषणा एवं बंटवारा चाहा है। पुश्तैनी सम्पति या सहदायिकी सम्पति वह अविभाजित सम्पति है जिसमें अंतिम सम्पतिधारी पूर्वज से चार डिग्री तक वंशज शामिल है।

24- हस्तगत प्रकरण में खीमाराम की सम्पति का विभाजन हो चुका था एवं बंटवारे से जीवराम को प्राप्त हुई। बंटवारके पश्चात् अप्रार्थीगणों को पिता जीवाराम के जीवित रहते जरिये बख्शीश प्राप्त हुई। जिससे सम्पति प्रथम दृष्टया पुश्तैनी न होकर स्वअर्जित एवं अप्रार्थीगण रिकॉर्डेड खातेदार है। प्रार्थीगणों द्वारा न तो बंटवारे को चुनौती दी गई ना ही गिफ्ट डीड की वैधता को चुनौती दी गई। अतः प्रथम दृष्टया विवादित आराजियात पुश्तैनी साबित नहीं होती है। उक्त विवाद का निस्तारण वाद में जरिये ट्रायल साक्ष्य एवं गवाहानो के द्वारा ही हो पाएगा प्रारम्भिक स्तर इसका निर्णय नहीं किया जा सकता है। अस्थाई निषेधाज्ञा मे किसी हक व अधिकरों की घोषणा नहीं की जाती है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगणों दोनों के द्वारा एक-दूसरे के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा चाही गई है। अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने बाबत प्रकरण का परीक्षण केवल तीन बिन्दुओं प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का संतुलन, अपूरणीय क्षति के संदर्भ में करना है एवं न्यायालय की राय में अप्रार्थीगण रिकॉर्डेड खातेदार है। अतः प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगणों के पक्ष में एवं यदि अप्रार्थीगणों के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो उन्हे होने वाली असुविधा प्रार्थीगणों से अधिक होगी एवं अप्रार्थीगणों को होने वाली अपूरणीय क्षति का मूल्यांकन रूपये पैसों से नहीं किया जा सकेगा।

अतः अस्थाई निषेधाज्ञा जारी [illegible] अप्रार्थीगणों के पक्ष में साबित होते है। अतः न्यायालय प्रार्थीगणों द्वारा प्रस्तुत [illegible] पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने खारिज किया जाकर अप्रार्थीगणों द्वारा प्रस्तुत प्रति प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने स्वीकार किया जाना उचित समझता है अतएवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.14 12:33:44 IST
Reason: SelfAttested

पेज लगातार 10 पर...

सहायक कलेक्टर
(एस डी ओ) देसूरी (पाली)

-: आदेश :-

अप्रार्थीगण द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने बाबत प्रस्तुत प्रति प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रार्थीगण संख्या 1 व 2 भंवरलाल, दिलीपकुमार पुत्र जीवाराम के जारी की जाकर पाबंद किया जाता है कि मोजा ग्राम सादडी चक द्वितीय के खसरा संख्या 5545, 5550, 5551 कुल खसरा 03 कुल क्षेत्रफल 01.9400 हेक्टर की वादग्रस्त आराजी में अप्रार्थी संख्या 1 लगाय 3 वनाराम, मदनलाल, भरतकुमार पुत्र जीवाराम के निहित खातेदारी हक अधिकार और कब्जा काश्त में प्रार्थीगण स्वयं और अपने एजेन्ट प्रतिनिधिगण के मार्फत से नाजायत हस्तक्षेप, दखलन्दाजी नहीं करें एवं जोर-जबरदस्ती से बेदखल नहीं करें तथा ना किसी अन्य से करावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूलवाद के साथ नत्थी हो।

(राजलक्ष्मी गेहलोत)
सहायक कलक्टर
देसूरी

निर्णय आज दिनांक 30.09.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
देसूरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.14 12:33:44 IST
Reason: SelfAttested